झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या– 4/आ0–03–1016/2016 96 राँची,दिनांक– 14/6/19

उप सचिव, मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग, राँची के पत्रांक– 1219 (अनु0) दिनांक – 07.09.2013 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री पंकज कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जमशेदपुर प्रमंडल में विभागीय अभियन्ताओं तथा संवेदक की मिलीभगत से चापाकल निर्माण में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर विभाग द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपो हेतु उन्हें विभागीय आदेश संख्या–211 सह पठित ज्ञापांक–3593 दिनांक–04.08.2016 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय आदेश संख्या–17 सहपठित ज्ञापांक–141 दिनांक–11.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही आदेश संख्या–115 सहपठित ज्ञापांक–1364 दिनांक–21.03.2017 द्वारा श्री सिन्हा को संचालित विभागीय कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना निलंबन मुक्त किया गया।

2. तदोपरांत जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु श्री सिन्हा से द्वितीय पृच्छा की गई, जिसके आलोक में श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया।

3. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एंव श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा सहित पुरे मामले की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी एवं संपूर्ण मामले पर विचारोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु विभागीय आदेश संख्या–160 सपठित ज्ञापांक–2784 दिनांक–03.07.2018 द्वारा श्री सिन्हा के अनुमान्य पेंशन की राशि में से पाँच प्रतिशत की कटौती छः माह तक किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. तदोपरांत श्री सिन्हा, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए निलंबन अवधि (दिनांक 04.08.2016 से 20.03.2017) के वेतन भत्ता आदि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया।

चूँकि उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सिन्हा को दोषी मानते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 के तहत् उन्हें निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

14/6/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/आ0–03–1016/2016 2121 राँची,दिनांक– 14/6/19

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/आ0–03–1016/2016 2121 राँची,दिनांक– 14/6/19

प्रतिलिपि– अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी अवर सचिव, (प्रशाखा–03, 04 एवं 10), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

14/6/19

P.T.O.–

ज्ञापांक–4 / आ0–03–1016 / 2016 2121 राँची, दिनांक– 14/6/19

प्रतिलिपि– श्री पंकज कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल साहेबगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त, C/O – एच0 कुमार, फ्लैट–304 दिव्यंम सैन बिहार डिबडीह राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4 / आ0–03–1016 / 2016 2121 राँची, दिनांक– 14/6/19

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि पत्र की प्रति श्री सिन्हा, को उपलब्ध कराते हुए पावती उपलब्ध कराई जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4 / आ0–03–1016 / 2016 2121 राँची, दिनांक– 14/6/19

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT, PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

14/6/19